बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग, बिहार
विकास भवन, पटना–15.

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना में सचिवालय सहायक के पद पर सेवानिवृत्त सचिवालय सहायकों का संविदा आधारित नियोजन सूचना

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना में सचिवालय सहायकों के कुल – 30 (तीस) {अनारक्षित–10, अनारक्षित महिला–5, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग–3, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग महिला–2, पिछड़ा वर्ग–3, पिछड़ा वर्ग महिला–1, अनुसूचित जाति–3, अनुसूचित जाति महिला–2, पिछड़ा वर्ग की महिला–1} पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0–10000, दिनांक 10.07.2015 एवं पत्र सं0–3815 दिनांक–11.03.2016 में निहित प्रावधान के तहत बिहार सचिवालय सेवा के इच्छुक सेवानिवृत्त सहायकों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है, जिसकी **अंतिम तिथि– 30.11.2018** है। इससे संबंधित विस्तृत सूचना एवं आवेदन प्रपत्र विभागीय वेबसाइट http://health.bih.nic.in/ पर अवलोकन/डाउनलोड की जा सकती है।

2. स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना में सचिवालय सहायक के पद पर सेवानिवृत सचिवालय सहायकों का संविदा आधारित नियोजन से संबंधित पूर्व प्रकाशित विज्ञापन को अपरिहार्य कारणवश निरस्त किया जाता है।

ह0/–
(राम ईश्वर)
सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग।

ज्ञापांक:–................................../स्वा0, पटना, दिनांक–../

प्रतिलिपि :– पांच अतिरिक्त प्रतियों एवं एक सी0 डी0 सहित निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि नियोजन से संबंधित सूचना राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाय तथा प्रेस कतरन विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग।

ज्ञापांक:–1511(5)/स्वा0, पटना, दिनांक–8/11/18/

प्रतिलिपि :– आई0टी0 प्रबंधक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय नोडल पदाधिकारी (श्री कुमार Mobile No. 9431859626 एवं E-mail Id. health-personnel-bih@ gov.in) के माध्यम से E-Advertisement, Social Media Communication Hub तथा Integrated Common Website एवं विभागीय वेबसाईट पर संलग्न विज्ञापन प्रारूप एवं आवेदन प्रारूप अपलोड करने हेतु प्रेषित।

8/11/18

सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग।

D:\SANJIV KUMAR\ALL LETTER.DOCX

1511 (5)
8/11/18

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

सचिवालय सहायक के पद पर सेवानिवृत्त सचिवालय सहायकों का संविदा आधारित नियोजन सूचना।

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना में सचिवालय सहायकों के रिक्त पदो के विरूद्ध कुल–30 (तीस) {अनारक्षित–10, अनारक्षित महिला–5, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग–3, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग महिला–2, पिछड़ा वर्ग–3, पिछड़ा वर्ग महिला–1, अनुसूचित जाति–3, अनुसूचित जाति महिला–2, पिछड़ा वर्ग की महिला–1} पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–10000, दिनांक – 10.07.2015 एवं पत्र संख्या–3815, दिनांक–11.03.2016 के निहित प्रावधान के तहत पूर्व निर्गत विज्ञापन/सूचना को अपरिहार्य कारणवश रद्द करते हुए बिहार सचिवालय सेवा के इच्छुक सेवानिवृत सहायकों/पूर्व में आवेदन समर्पित करने वाले सहायकों (यदि चाहे तो) सहित से निम्नांकित शर्त्तो पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं :–

1. सचिवालय सहायक के पद पर संविदा के आधार पर चयन प्रथम चरण में दो वर्षों अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक के लिए होगा। संविदा पर नियोजन की अधिकतम उम्र 65 वर्ष तक होगी। आवश्यकतानुसार एक–एक वर्ष के लिए नियोजन अवधि का विस्तार उनके कार्यो की समीक्षा के उपरांत किया जा सकेगा।

2. नियोजित कर्मी द्वारा किये जा रहे कार्यो की समीक्षा समय–समय पर की जायेगी और कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में उनकी संविदा रद्द की जा सकेगी।

3. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–10000, दिनांक–10.07.2015 के आलोक में मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

4. अनुबंध के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और ना ही सरकारी सेवकों के अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार होंगे। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात सरकारी सेवा में नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

5. नियोजन हेतु सरकार के आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा। चयन के लिए आदर्श रोस्टर का अनुपालन किया जायेगा जो बिन्दु एक से प्रारम्भ होगा।

6. आवेदन के साथ –

(i) आवेदक द्वारा अपने अंतिम पदस्थापन विभाग से निर्गत स्वच्छता प्रमाण पत्र तथा अपनी सेवा के अंतिम पाँच वर्षों का वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति/कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की छायाप्रति (यदि उपलब्ध हों) समर्पित करेंगे ।

(ii) आवेदक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि –

(क) उनके विरूद्ध कोई निगरानी का मामला नहीं चल रहा है।
(ख) उनके विरूद्ध कोई विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं है।
(ग) कभी किसी मामले में उन्हें दंडित नही किया गया है।
(घ) उनके विरूद्ध कोई गंभीर आरोप/आपराधिक मामला दर्ज नहीं है।

7. नियोजन के समय स्वस्थ्य होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र देना आवश्यक होगा।

8. चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर चयनित कर्मियों को स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा नियोजित एवं पदस्थापित किया जायेगा।

9. प्राप्त आवेदन के आधार पर नियोजन की कार्रवाई के दौरान सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–3815, दिनांक–11.03.2016 में निर्धारित मापदंडों का अनुपालन किया जाएगा।

10. आरक्षण कोटि के विरूद्ध नियोजन की स्थिति में सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति एवं पी.पी.ओ. की स्वअभिप्रमाणित प्रति एवं अद्यतन पासपोर्ट साईज फोटो के साथ आवेदन प्रपत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

11. संविदा पर नियोजन के किसी भी स्तर पर नियोजित किये जाने वाले सेवानिवृत्त सचिवालय सहायकों की कुल संख्या/कोटिवार संख्या में परिवर्तन (कम/अधिक) करने की शक्ति विभाग के पास सुरक्षित रहेगी।

12. इच्छुक सेवानिवृत्त सचिवालय सहायक अपना पूर्ण विवरण विहित प्रपत्र (संलग्न) में अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से निबंधित डाक के माध्यम से **दिनांक–30.11.2018 के 05:00 बजे अपराहन् तक** स्वास्थ्य विभाग, नया सचिवालय, विकास भवन, बेली रोड पटना–15 में या हाथों–हाथ स्वास्थ्य विभाग, नया सचिवालय, विकास भवन में अवस्थित अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करेंगे। संबंधित सूचना स्वास्थ्य विभाग के वेबसाईट http://www.health.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

08/11/18

(राम ईश्वर)
सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग।

D:\SANJIV KUMAR\ALL LETTER.DOCX

780